उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 368/2021

योगेन्द्र राय.........................वादी।

बनाम्

श्याम बिहारी राय वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

17.03.2026

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 27.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 02 भगवान राय की मृत्यु दिनांक 11.02.2025 को तथा प्रतिवादी सं0 05 शिवमुनी राय की मृत्यु दिनांक 19.08.2023 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 02 भगवान राय तथा प्रतिवादी सं0 05 शिवमुनी राय का नाम कलमजद किया जाय। मृत प्रतिवादी सं0 02 भगवान राय के कानूनी वारीसान सुदामा राय, मुकेश राय, रूपेश राय, विष्णु कुमार राय के नाम को तथा मृत प्रतिवादी सं0 05 शिवमुनी राय के कानूनी वारीसान उमरावती देवी, उतम कुमार, गीता देवी, सुनीता देवी, अबिता देवी, चंद्रलेखा देवी, अरूण कुमार राय, आकाश कुमार राय के नाम को प्रतिस्थापित करने तथा का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक रूप से आपत्ति किया गया।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है किन्तु समय सीमा के अंतर्गत नहीं है जिसपर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक रूप से आपत्ति किया गया। वादी के ओर से विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन भी दिया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन स्वीकृत किया जाता है और विलम्ब को क्षम्य किया जाता है और आवेदन दिनांक 27.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 का न्यायहित में मो0 500/– पॉच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 02 भगवान राय तथा प्रतिवादी सं0 05 शिवमुनी राय का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 02 भगवान राय के कानूनी वारीसान सुदामा राय, मुकेश राय, रूपेश राय, विष्णु कुमार राय के नाम को तथा मृत प्रतिवादी सं0 05 शिवमुनी राय के कानूनी वारीसान उमरावती देवी, उतम कुमार, गीता देवी, सुनीता देवी, अबिता देवी, चंद्रलेखा देवी, अरूण कुमार राय, आकाश कुमार राय के नाम को प्रतिस्थापित करने तथा का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 19.05.2026 वास्ते अपेक्षिकॉए दाखिल करें ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)